संख्या–890/एक–10–2023–33(15)/2020

प्रेषक,

प्रभु एन0 सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊः दिनांकः 28 जून, 2023

विषयः– जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, सोनभद्र में नियुक्त आपदा सलाहकार के मानदेय के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–357/आ0सहा0–जि0आ0प्र0प्रा0/मानदेय/2023–24, दिनांक 12.06.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0103–खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु (के.100/रा.0–के.)–07 मानदेय" मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष एन0डी0एम0एस0 पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण के लिए जनपद–सोनभद्र में नियुक्त सलाहकार (आपदा प्रबंधन) के माह मार्च, 2023 के मानदेय के भुगतान हेतु **रू0 70,000/– (रू0 सत्तर हजार मात्र) की धनराशि,** निम्नलिखित विवरण तथा शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बंधित जिलाधिकारी, सोनभद्र के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/**दिनांक 31 मार्च, 2024** से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रूपये 70,000/– (रू0 सत्तर हजार मात्र)**को चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–051 लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0103–खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु (के.100/रा.0–के.) 07 मानदेय"** के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2/2023/बी–1–227/दस–2023–231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभु एन0 सिंह)
सचिव।

संख्या–890 (1)/एक–10–2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई–बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पिकप भवन गोमती नगर, लखनऊ।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6– सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
8– राजस्व अुनभाग–6/11
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-30/06/2023

प्रेषण संख्या:- 890
आवंटन आदेश संख्या:- 001-890
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें
03 - खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सुदृढीकरण हेतु (के.100/रा.0-के.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		07-मानदेय	योग
1	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	70000 70000	70000 70000
	योग	वर्तमान प्रगामी	70000 70000	70000 70000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्तर हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्तर हजार

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by akhilesh pratap singh
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2023.06.30 02:59:26 +05:30